भारत सरकार
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या: 5717
दिनांक 04 अप्रैल, 2025 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

सीजीएचएस पैनलबद्ध अस्पतालों में उपचार

†5717. श्री वाई. एस. अविनाश रेड्डीः

क्या **स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या कुछ अस्पताल/सीजीएचएस औषधालय, पैनलबद्ध अस्पताल केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के लाभार्थियों, विशेषकर पेंशनभोगियों और उनके परिवार के सदस्यों का उचित उपचार नहीं कर रहे हैं और बहिरंग रोगी विभाग के कर्मचारी/चिकित्सक भी घोर लापरवाही दिखा रहे हैं और उनका अपमान कर रहे हैं तथा उन पर ध्यान नहीं दे रहे हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ख) क्या सरकार पेंशनर कार्ड अभ्यर्पित करने और पति/पत्नी द्वारा रोजगार मिलने पर तथा पुनः कार्यरत कर्मी का सीजीएचएस कार्ड लेने के पश्चात पेंशनर द्वारा सीजीएचएस कार्ड के लिए किए गए एकमुश्त भुगतान को लौटा देती है/भुगतान को समायोजित करती है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) प्रत्येक सीजीएचएस कार्यालय में ऐसे कितने मामले देखे गए/दर्ज किए गए हैं और उन पर क्या कार्रवाई की गई हैं?

उत्तर
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री प्रतापराव जाधव)

(क) से (ग): निजी पैनलबद्ध अस्पतालों के विरुद्ध ऋण(क्रेडिट)/सेवाओं से इनकार करने और अधिक शुल्क लेने के संबंध में कुछ शिकायतें प्राप्त हुई हैं। ऐसी शिकायतों का विवरण और की गई कार्रवाई **अनुलग्नक** में संलग्न है। पारिवारिक पेंशनभोगी के रूप में सीजीएचएस कार्ड का उपयोग करने की अवधि के लिए राशि की कटौती के बाद अभिदान की प्रतिपूर्ति निर्देश कार्यालय ज्ञापन संख्या एस.11012/1/2016-सीजीएचएस (पी) दिनांक 19.09.2016 के अनुसार लागू हैं। नागपुर शहर में रोजगार प्राप्त होने के बाद पति/पत्नी द्वारा पेंशनर का कार्ड वापस करने और सेवारत सीजीएचएस कार्ड लेने के बाद पेंशनर सीजीएचएस कार्ड के लिए किए गए एकमुश्त भुगतान की प्रतिपूर्ति/अदा की गई राशि को समायोजित करने के लिए भौतिक पत्र के माध्यम से दो मामले प्राप्त हुए है।

अनुलग्नक

शिकायतों की सूची और उन पर की गई कार्रवाई

क्र.सं.	अस्पताल का नाम	की गई कार्रवाई
1.	पारस एचएमआरआई अस्पताल, पटना	लापरवाही के संबंध में भौतिक रूप से शिकायत पत्र प्राप्त हुआ। इस अस्पताल का सीजीएचएस पैनल 6 महीने के लिए निलंबित कर दिया गया।
2.	कैलाश अस्पताल और हार्ट इंस्टीट्यूट, नोएडा	सीजीएचएस दिशा-निर्देशों का अनुपालन नहीं करने के संबंध में शिकायत भौतिक रूप से प्राप्त हुई। इस अस्पताल पर निष्पादन बैंक गारंटी से 1.5 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया तथा अधिक वसूली गई राशि लाभार्थी को वापस कर दी गई।
3.	जेपी अस्पताल, नोएडा	ई-मेल के माध्यम से अधिक शुल्क लेने के संबंध में शिकायत प्राप्त हुई थी। उक्त अस्पताल को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। इस अस्पताल ने अधिक वसूली गई राशि लाभार्थी को वापस कर दी।
4.	मैक्स सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल, साकेत	अधिक शुल्क लेने के संबंध में शिकायत भौतिक रूप से प्राप्त हुई। उक्त अस्पताल को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। इस अस्पताल ने अधिक वसूली गई राशि लाभार्थी को वापस कर दी।
5.	फोर्टिस एस्कॉर्ट्स अस्पताल, फरीदाबाद	सीजीएचएस दिशा-निर्देशों का अनुपालन नहीं करने के संबंध में भौतिक रूप से शिकायत प्राप्त हुई। इस अस्पताल को चेतावनी पत्र जारी किया गया।

*****